न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह चौहान आर0ए0एस

मुकदमा नं0 45/2025

मोहनलाल बनाम रामेश्वर वगै0

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0

1. श्री चन्दन सिंह वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण
2. श्री रामसिंह वकील अप्रार्थीगण/वादीगण

दिनांक :— 30.04.2025

निर्णय

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 इस आशय का पेश किया कि वादी द्वारा जो वाद पत्र पेश किया गया है उसमे उसके मूल खसरा नंबर 857 थे, जो महेशकुमार व रामेश्वर के नाम से थे उसके पश्चात दिनांक 18/9/2024 को उक्त आराजी के मूल खातेदार प्रभूदयाल रामेश्वर व महेश्कुमार ने जरिये विक्रय पत्र द्वारा त्रिलोक पुत्र नारायण जाति धानका निवासी सांगानेर को बेचान कर दिया। दिनांक 8/10/24 को त्रिलोकचन्द द्वारा वादी मोहनलाल व प्रतिवादी सं03, 4 के मध्यअपस मे बंटवारा हुआ । बंटवरे मे वादी ने अपने हिस्से की रजिस्ट्री करवा लि । प्रतिवादी सं03, 4 ने अपने हिस्से का विक्रय पत्र तसदीक करवा लियां दिनांक 5/10/24 को वादी मोहनलाल व प्रतिवादी सं03 व 4 के मध्य एक सहमति पत्र हुआ जिसमे उक्त आराजीयात के संबंध मे यह स्वीकार किया गया व सहमति पत्र तसदीक करवाया कि उक्त केता व वादी एंव प्रतिवादी सं0 3, 4 के मध्य भविष्य मे कोई विवाद नहीं होगा। वादी द्वरा विक्रय पत्र तसदीक करवाने के पश्चात भूमि का नामान्तरणकरण खुलवा लिया, नामान्तरणकरण के पश्चात वादी व प्रतिवादी सं0 3, 4 तथा त्रिलोकचन्द के मध्य भूमि का तकासमा करवा लिया बाद मे त्रिलोकचन्द ने नगरपालिका मे भूमि का समर्पण कर आवासीय उपयोग मे कनवर्ड 'सपरिर्वतन करवा लिया है। इस प्रकार उक्त खसरा नंबर की भूमि का बाद तकासमा त्रिलोकचन्द ने नगरपालिका मे समर्पण कर रूपान्तरित करवाकर किस्म परिवर्तन करवा ली गयी है। आदि तथ्यो पर पेशकर जाहिर किया कि वादी ने जो घोषणा खातेदारी का दावा पेश किया है। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य दिनांक 5/10/24 मे वादी द्वारा सहमति पत्र द्वारा स्वीकार किया जा चुका है तथा अपने हिस्से का विक्रय पत्र तसदीक किया जा चुका है इस कारण वाद कारण

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

उत्पन्न नही होता है साक्ष्य अधिनियम की धारा 116 के तहत वाद चलने योग्य नहीं है। आदि तथ्यो पर पेशकर प्रार्थना पत्र ओ0 7 नियम 11 जा0दीवानी स्वीकार फरमाया जाकर वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने एंव वाद कारण उत्पन्न न होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर नकल वादी अधिवक्ता को दिलायी गयी, जिसका अप्रार्थी/वादी के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत नकर मौखी बहस करना जाहिर किया जिस पर बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो एंव वाद का पूर्णरूपेण अवलोकन किया गया ।

उभय पक्षकारान की बहस व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ह0ओ07 रूल 11 जाप्ता दीवानी मे वर्णित तथ्यो एंव वाद के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि वादी एंव प्रतिवादी के मध्य दिनांक 5/10/2024 को सहमति पत्र के द्वारा आराजी का विधिवत भू–रूपा0 कराया जाकर आबादी मे कनवर्ड करायी जा चुकी है एंव शेष भूमि का वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा हो चुका है वादी ने अपने वाद मे जो बिना दावा जाहिर कर वाद कारण अंकित किया है वह वाद हेतुक उत्पन्न होना जाहिर नही होता है एंव वाद राजस्व न्यायालय की सुनवाई योग्य नहीं है।

अतः प्रतिवादी नंबर 3,4, का आवेदन पत्र ह0ओ07 रूल 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार फरमाया जाकर प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने एंव वाद कारण के अभाव मे वाद ह0ओ0 7 रूल 11 जाप्ता दीवानी के तहत खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर